रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED NO. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 14, 1973/ आषाढ़ 23, 1895

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14, 1973/ASADHA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 22 मई, 1973

का. आ. 1867.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पंजाब विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 16-खादूरसाहिब निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मनजीत सिंह, सुपुत्र श्री धारा सिंह, ग्राम धीराकोट, पो. आ. भगवान, तह. तथा जिला अमृतसर, पंजाब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण था न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मनजीत सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. पंजाब-वि. स./16/72(11)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 22nd May, 1973

S.O. 1867.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Manjit Singh S/o Shri Dara Singh, village Dhirakot, P. O. Bhagwan, Tehsil and District Amritsar (Punjab), a contesting candidate for the general election held in March, 1972, to the Punjab Legislative Assembly from 16-Khadoor Sahib constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Manjit Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/16/72 (11)]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Community Development)

New Delhi, the 18th June, 1973

S.O. 1951.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act 1952 (60 of 1952) by the Central Government hereby further extend upto 30th June, 1973 the period within which the Commission of Inquiry to look into the affairs and accounts of Bharat Sevak Samaj, appointed by the Government of India in the Department of Community Development vide Notification No. 9(2)/68-1 KK dated 21st February, 1969, shall make its report to the Central Government.

[No. L. 14012/1/72-PC]

N. A. AGHA, Jt. Secy

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 5 जून, 1973

का० आ० 1952.—जबकि केन्द्रीय सरकार को यह बताया गया है कि सर्वश्री आलीराम, राजकुमार और जगदीश बहादुर सक्सेना तथा अन्य लोगों ने पुरावशेष (निर्यात-नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के खण्ड 3 के साथ पढ़े जाने वाले खण्ड 5 तथा अन्य अधिनियमों के अधीन हिमाचल प्रदेश के केस एफ० आई० संख्या 20/71 में दंडनीय अपराध किया है।

और जब कि कोई भी न्यायालय पुरावशेष (निर्यात नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन दण्डनीय अपराध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सामान्य रूप से अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की जाये।

अतः अब केन्द्रीय सरकार के श्री सोमदत्त वैद्य, पुलिस निरीक्षक, राज्य सी० आई० डी० (अपराध) हिमाचल प्रदेश, शिमला, को सम्यक् प्राधिकृत करती है कि वह उपरोक्त मामले में सक्षम अधिकारयुक्त न्यायालय के समक्ष सर्वश्री आलीराम, राजकुमार, जगदीश बहादुर सक्सेना आदि दूसरे लोगों के विरुद्ध पुरावशेष (निर्यात नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन शिकायत दर्ज करे।

सं० 2/11/73-पुरातत्व]

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 5th June, 1973

S. O. 1952.—Whereas it has been made to appear to the Central Government that M/s. Bali Ram, Raj Kumar and Jagdish Bahadur Saxena and others have committed offence punishable under Section 5 of Antiquities (Export Control) Act, 1947 and other laws in case FIR No. 20/71 of the Government of Himachal Pradesh.

And whereas no court can take cognizance of an offence punishable under the Antiquities (Export Control) Act, 1947, except upon a complaint made in writing by an officer generally or specially authorised in this behalf by the Central Government.

Now, therefore, the Central Government is pleased to authorise Shri Som Datt Vaidya, Inspector of Police State C.I.D. (crime), Himachal Pradesh, Simla, to prefer the complaint against M/s. Bali Ram, Raj Kumar Jagdish Bahadur Saxena and others under the Antiquities (Export Control) Act, 1947, before a court of competent jurisdiction in the aforesaid case.

[No. 2/11/73 ART.]

नई दिल्ली, 19 जून, 1973

पुरातत्व

का० आ० 1953.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व का है;

अतः अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, उक्त पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

उक्त पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् दो मास के भीतर किये गये किसी आक्षेप पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील/उपखण्ड	अवस्थिति	स्थल का नाम	संरक्षण के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली राजस्व प्लाट संख्याएं	क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणियां
पश्चिमी बंगाल	बर्दवान	दुर्गापुर	भरतपुर	सर्वेक्षण संख्या 571, 571/965, 2215 और 2216 में गमा-विष्ट प्राचीन स्तूप।	सर्वेक्षण प्लाट सं० 571, 571/965 2215 और 2216	6.19 एकड़	उत्तर सर्वेक्षण प्लाट सं० 572 पूर्व-सर्वेक्षण प्लाट सं० 2033 2031 2040 2041 और 2015 दक्षिण सर्वेक्षण प्लाट सं० 2211 2212 2213 और 2214 पश्चिम सर्वेक्षण प्लाट सं० 22171	प्राइवेट	—

[सं० 2/1/डब्ल्यू० बी०/1/71-एम०]

म० न० देशपांडे, महानिदेशक एवं संयुक्त सचिव

New Delhi dated the 19th June, 1973

Archaeology

S.O. 1953.—Whereas the Central Government is of opinion that the archaeological site and remains specified in the schedule attached hereto is of national importance ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said archaeological site and remains to be of national importance.

Any objection made within two months after the issue of this notification by any person interested in the said archaeological site and remains will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil/-Sub-division	Locality	Name of site	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
West Bengal	Burdwan	Durgapur	Bharatpur	Ancient mound comprised in Survey Plot Nos. 571, 571/965, 2215 and 2216.	Survey plot Nos. 571, 571/965, 2215 and 2216	6.49 acres	NORTH: Survey plot No. 572 EAST: Survey plot Nos. 2033, 2034, 2040, 2041 and 2045 SOUTH: Survey plot Nos. 2211, 2212, 2213 and 2214 WEST: Survey plot No. 2217	Private	—

[No 2/1 WB/1/71-M.]
M.N. DESHPANDE, Director General Ex-Officio Jt. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जून, 1973

का० आ० 1954 —केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (1) तथा नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 631-ख, दिनांक 28 फरवरी, 1957 का, जहां तक कि इसका संबंध भारत मौसम विज्ञान विभाग की भाग I के अंतर्गत सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II से है, अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश करते हैं कि इस आदेश की अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट भारत मौसम विज्ञान सेवा, श्रेणी II के पदों के संबंध में, कालम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होंगे तथा कालम 4 में विनिर्दिष्ट दंडों के संबंध में कालम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	(नियम 11 में पद संख्याओं के संबंध में) दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा वे दंड जो वह लगा सकता है।	
		प्राधिकारी	दंड
भारत मौसम विज्ञान विभाग			
भारत मौसम सेवा श्रेणी II			
राजपत्रित			
सहायक मौसम विज्ञान विद् अथवा सहायक कृषि मौसम विज्ञान विद् अथवा सहायक भूकम्प विज्ञान विद्।	वेधशालाओं के महानिदेशक	वेधशाला के महानिदेशक	समस्त
अराजपत्रित			
(i) व्यावसायिक सहायक (व्यावसायिक सहायक (फोरकैस्ट) सहित)	वेधशालाओं के महानिदेशक	वेधशालाओं के महानिदेशक	समस्त
		वेधशालाओं के उप महानिदेशक (प्रशासन), (i) से (iv) तक (उपकरण), (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी) तथा (पूर्वानुमान), क्षेत्रीय निदेशक कृषि मौसम विज्ञान तथा उपकरण (पूना) के निदेशक।	
(ii) अधीक्षक, वेधशालाओं के महानिदेशक का कार्यालय मुख्यालय नई दिल्ली।	वेधशालाओं के महानिदेशक	वेधशालाओं के महानिदेशक	समस्त
		वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (प्रशासन)	(i) से (iv) तक
(iii) अधीक्षक, वेधशालाओं के उप-महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक (मौसम विज्ञान तथा भू-भौतिकी का कार्यालय पूना।		वेधशालाओं के महानिदेशक	समस्त
		वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी।	(i) से (iv) तक
(iv) अधीक्षक, वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (उपकरण) का कार्यालय, नई दिल्ली।	वेधशालाओं के महानिदेशक	वेधशालाओं के महानिदेशक	समस्त
		वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (उपकरण)	(i) से (iv) तक

[सं० सी०-11012/1/72-एम०]